Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding provisions of Land Acquisition Act in Jharkhand.

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): माननीय अध्यक्ष जी, झारखंड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2001 के कई ऐसे प्रावधानों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जनजातीय लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसमें पंचायत की 70 प्रतिशत की सहमति के स्थान पर केवल परामर्श लिए जाने, न्यायालय में जाने की मनाही एवं सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन द्वारा इस कानून का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

ऐसा कानून सिर्फ झारखंड में है और किसी राज्य में नहीं है, जबकि भूमि अधिग्रहण 2013 केंद्र सरकार द्वारा लागू है। झारखंड में भूमि अधिग्रहण अधिनियम का संविधान में पांचवीं अनुसूची के अनुसार पालन होता है। झारखंड में पेसा कानून को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम एवं वन अधिनियमों से झारखंड के करोड़ों आदिवासियों और मूल वासियों का गला घोंटने एवं मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और धनवान बनाने का रास्ता बनाने के लिए मनमाने ढंग से लाया जा रहा है। इसके कारण झारखंड राज्य के आदिवासी और मूलवासी काफी आक्रोषित हैं। अनेक योजनाओं के नाम पर आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। योजनाओं के नाम पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मूल प्रावधानों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए और सीएनटी एसपीटी एक्ट और पेसा एक्ट की रक्षा की जाए।

HON. SPEAKER:

Shri Jai Prakash Narayan Yadav is permitted to associate with the issue raised by Shri Vijay Kumar Hansdak.